

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

मांगीलाल

बनाम

सजय

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 340 / 2022 / 526

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ मांगीलाल - भिठुलाल

पिता श्री देवजी जाट

निवासी- बोरियाणा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

पुरोहितों का सावंत

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1068, 1067, 1071, 1497

1072, 1073, 1078, 1079, 1080, 1081 मी. 1460, 1465

कुल कीता 9 कुल रकबा 4.7571 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पुरोहितों का सावंत

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर 1068, 1067, 1071, 1072, 1073, 1078, 1079, 1080, 1081 मी. 1497, 1460, 1465

1081 मी.

कुल कीता 9 रकबा 4.7571 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रूपये अक्षर एक हजार पंच सौ रु प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(शकम सुन्दर मिश्रनेई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)